शासी निकाय की बैठक

आज दिनांक 1.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे गणित विभाग में स्वशासी प्रकोष्ठ की शासी निकाय की बैठक आहूत की गई, जिसमें यू.जी.सी. समिति, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत तथा महाविद्यालय के मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे –

1. डॉ० अमिताभ बैनर्जी
2. डॉ० भारत सिंह
3. डॉ० एन.के बाघमार
4. श्री० एच. एस खनूजा
5. श्री० सुशिल शुक्ला
6. श्री० सुरेश गोयल
7. डॉ० डी० एन० वर्मा
8. डॉ० पी० के० अग्निहोत्री
9. डॉ० सुषमा सिंग गौर 1.12.2021
10. डॉ० तृष्णा कौशिक 1.12.21
11. डॉ० बी.डी० साहसी
12. डॉ० मोना जैन 1.12.2021
13. डॉ० हेमलाल साहू

शासी निकाय बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है –

1. सर्वप्रथम गत वर्ष की बैठक की कार्यवाही का वाचन किया गया।
2. विद्या परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से समस्त बिन्दुओं को अनुमोदित किया गया।
3. वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय में वित्त समिति के सदस्य डॉ० वेणुगोपाल का सर्वसम्मति से दो वर्ष के लिए मनोनीत किया गया।
5. Annual quality assuranc report 20-21 समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ रखी गई।
6. स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ, Manual for exam rules & regulations को भी समिति के समस्त सदस्यों के समक्ष

रखा गया।
बैठक के अंत में डॉ० बी. डी० साहसी ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

HS Bhanja

01.12.2021

1.12.2021

01/12/21

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय जे0 योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार रायपुर 492001 / ☎ 0771–2427126
email:gjycg.college@gmail.com/website : www.cgcollege.org

शासी निकाय 2019–2020 की बैठक

बैठक का एजेंडा निम्नानुसार है :–

1. विद्या परिषद (अकादमिक परिषद) की बैठक में लिए गए निर्णय पर चर्चा/अनुमोदन
2. स्वशासी वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर चर्चा/अनुमोदन
3. कोविड 19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप लाकडाउन होने के कारण स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षा–परिणामों एवं उन पर हुए व्यय के भुगतान के प्रावधानों पर चर्चा/अनुमोदन
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

Govn. Bod

दिनांक 27.11.2020

शासी निकाय की बैठक

आज दिनांक 27.11.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे शासी निकाय की बैठक गणित विभाग में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित एवं महाविद्यालय के नामांकित सदस्य उपस्थित थे

1 डॉ० अभिताभ बेनर्जी
2 श्री. एच. एस खनूजा 9425210140
3 श्री. सुशील शुक्ला 9827145244
4 श्री सुरेश गोयल 9893624400
5 डॉ. डी. एन. वर्मा –
6 डॉ० एन. के बाघमार
7 डॉ. पुष्पा कौशिक
8 डॉ० पी० के. अग्निहोत्री
9 डॉ० बी. डी. साहसी
10 डॉ० मोना जैन
11. डॉ. एम. दुबे

27/11/2020

शासी निकाय बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है –

1 प्राचार्य द्वारा सर्वप्रथम शासी निकाय के सम्माननीय सदस्यों का श्रीफल से सम्मान किया गया।

2 तत्पश्चात गत वर्ष की बैठक की कार्यवाही का वाचन तथा अनुमोदन किया गया।

3 महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पर चर्चा की गई एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4 अकादमिक परिषद (दिनांक 27.9.19) के द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन किया तथा लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

5 वित्त समिति (दिनांक 16.6.2020) द्वारा पारित (स्वशासी परीक्षा - वित्तिय व्यवस्था से सम्बंधित) प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

6 कोविड 19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप लॉकडाउन होने के कारण स्थगित परीक्षाओं एवं उन पर हुए व्यय के भुगतान के प्रावधानों को अनुमोदित किया गया।

7 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय में - शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विभाग को प्रेरित किया जाये।

बैठक के अंत में स्वशासी प्रकोष्ठ की तरफ से डॉ० वी० डी० साहसी द्वारा धन्यवाद दिया गया। एक

27.11.2020
27.11.2020
27/11/2020
27.11.2020

P.S.

एक अतिरिक्त सदस्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये। इस सुझाव को भी शासी निकाय की बैठक में रखा गया।

दिनांक 26.3.2019
शासी निकाय की बैठक

आज दिनांक 26.3.2019 को शासी निकाय की बैठक प्राचार्य कक्ष आहूत की गई थी जिसमें निम्नलिखित सम्मानित सदस्य उपस्थित थे -

1. डा० व्ही. के अग्रवाल — प्राचार्य
2. डा० भगवंत सिंह
3. श्री अशोक पारख
4. डा० मधुश्री दुबे
5. डा० कीर्ति तिवारी
6. डा० पी० के० अग्निहोत्री
7. डा० डी० के. वर्मा — 26.3.2019
8. डा० सी० एस० ओझा
9. डा० मीरा जैन — 26.3.19
10. डा० वासुदेव साहसी

बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है -

1. प्राचार्य द्वारा सर्वप्रथम शासी निकाय के सम्माननीय सदस्यों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात
2. विगत बैठक के कार्यवृत का वाचन एवं अनुमोदित किया गया।
3. Annual Evaluative Report of the college (Autonomous) पर चर्चा की गई एवं इसका अनुमोदन किया गया।
4. अकादमिक परिषद के द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। (दिनांक 20-12-18 के निर्णय की स्वीकृति प्रदान की गई)
5. वित्त समीति द्वारा पारित (आटोनामस परीक्षा - वित्तीय व्यवस्था से संबंधित) प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

(वित्त समिति बैठक 28-2-19 द्वारा पारित)

6. (i) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के सम्बंध में डा० पी० अग्निहोत्री ने सुझाव देते हुए आरोचामस के कार्यों के दायित्व निर्वहन हेतु एक सदस्य की नियुक्ति पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में वित्त समिति द्वारा पारित होने के बाद ही क्रियान्वित किया जावे।

(ii) अध्यक्ष की अनुमति से वित्त समिति सदस्य के रूप में डा० अनिल कुमार झा को दो वर्ष के लिये मनोनित किया गया।

(iii) अन्त में परीक्षा नियंत्रक डा० डी० के० वर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

[signature] 26/3/19

[signature] 26/3/19

[signature]

[signature] 26/3/2019

[signature] 26/3/19

[signature]

[signature] 26.3.19

[signature] 26/3/2019

[signature] 26/3/19

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय जे0 योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार रायपुर 492001 / फोन 0771 [illegible]
email: gjycg.college@gmail.com website: www.cgcollege.org

क्रमांक 6862 / Auto Gov Body 2018 रायपुर, दिनांक [illegible]

प्रति

1. डॉ. अशोक पारख, रायपुर। (मो. नं. – 9754002300)
2. श्री सुरेन्द्र जैन, रायपुर। (दूरभाष नं. – 07714232100)
3. डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, रायपुर। (मो. नं. – 9425203434)
4. अपर संचालक (राज्यशासन द्वारा मनोनित सदस्य), उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
5. प्रो. भगवंत सिंह, आचार्य, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर। (मो. नं. – 9893410919)
6. प्रो. वजीर सिंह नेहरा, रोहतक। (मो. नं. – 09416283648)
7. डॉ. (श्रीमती) मधुश्री दूबे, रायपुर।
8. डॉ. (श्रीमती) कीर्ति तिवारी, रायपुर।

विषय :– दिनांक 03/04/2018 को महाविद्यालय के शासी निकाय की बैठक में सम्मिलित होने बाबत्।

महोदय,

महाविद्यालय की स्वशासिता के शासी निकाय की बैठक दिनांक 03/04/2018 को दोपहर 12.00 बजे प्राचार्य कक्ष में आयोजित है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :–

1. स्वशासिता के अन्तर्गत दिनांक 12/01/2018 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय पर चर्चा/अनुमोदन।
2. स्वशासिता के अन्तर्गत दिनांक 08/03/2018 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय पर चर्चा/अनुमोदन।
3. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय।

प्राचार्य
शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

shashi.Nik. 2018.

दिनांक 03/4/2018

आज दिनांक 3/4/2018 को स्वशासी, शासी निकाय की बैठक प्राचार्य कक्ष मे दोपहर 12:00 बजे आयोजित किया गया। जिसमे निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1. डॉ अशोक पारख – अध्यक्ष/शासी निकाय/मानद सदस्य
2. प्रो० वजीर सिंह नेहरा – यूजीसी प्रतिनिधि
3. प्रो० भगवत सिंह – विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
4. डा पी०सी० चौबे – संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा
5. श्रीमती मधुश्री दुबे – वरिष्ठ प्राध्यापक, महाविद्यालय
6. श्रीमती कीर्ति तिवारी – वरिष्ठ प्राध्यापक, महाविद्यालय
7. डॉ सी० एल० देवांगन – प्राचार्य/परेन सचिव
8. डा पी० के० अग्निहोत्री (विशेष आमंत्रित) – यूजीसी (प्रभारी)
9. डा डी० के० वर्मा – ~~अध्यक्ष~~ नियन्त्रक (स्वशासी प्रकोष्ठ)

1. सर्वप्रथम प्रो० बी० एस० ओझा द्वारा बैठक की पृष्ठभूमि के बारे मे ~~बैठक मे~~ बताया गया।
2. डॉ पी० सी० चौबे जी द्वारा ग्रान्ट हेतु और अधिक प्रयास के लिए कहा गया।
3. प्रो० वजीर सिंह नेहरा जी द्वारा विभिन्न बैठको को नियमानुसार वर्ष मे दो बार आयोजित करने की आवश्यकता है
4. डॉ. पी. सी चौबे के द्वारा पालन प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता प्रतिपादित की
5. समिति के Examination Reform करने का निर्णय लिया।
6. प्रयोगशाला में अनुदान मिलने पर व्यवस्था की जाये।
7. वित्त समिति की निर्णय ~~को~~ सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
8. प्राचार्य की अनुमति से निम्न निर्णय लिए गये।
   (a) Policy for Promotion of Research
   (b) Consultancy Policy

   } महा० की शोध समिति द्वारा 13.4.17 को स्वीकृत निर्णयो के

को सर्वसम्मति से approved किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 1, 2, 3, 4, एवं 5 सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित -

(1) डॉ० अशोक पारख - 3/4/2018

(2) प्रो० वजीर सिंह नेहरा - 3/4/18

(3) प्रो० भगवंत सिंह - 03/04/18

(4) डॉ० पी० सी० चौबे - 03/04/18

(5) डॉ० श्रीमति मधुश्री दुबे - 3/4/18

(6) डॉ० नीति तिवारी - 3/04/18

(7) डॉ० पी० के० अग्निहोत्री

(8) डॉ० डी० के० वर्मा -

शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

शासी निकाय की बैठक दिनांक 04.03.2017 का कार्यवृत्त

महाविद्यालय की स्वशासिता के अन्तर्गत गठित शासी निकाय की बैठक दिनांक 04.03.2017 दिन सोमवार को प्राचार्य कक्ष में अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित की गई । बैठक, प्राचार्य, डॉ. पी. सी. अग्रवाल द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ प्रारंभ हुई जिसमें निम्न माननीय सदस्य उपस्थित रहे,

1. डॉ. अशोक पारख, रायपुर (शिक्षाविद सदस्य), **अध्यक्ष शासी निकाय**
2. प्रो. स्वर्णलता सराफ, आचार्य, विश्वविद्यालयीन फार्मेसी संस्थान, रायपुर(विश्वविद्यालयीन सदस्य),
3. डॉ. श्रीमती पुष्पा कौशिक, रायपुर (महाविद्यालयीन सदस्य),
4. डॉ. टी. एल. वर्मा, रायपुर (महाविद्यालयीन सदस्य),
5. डॉ. डी. के. वर्मा, रायपुर (विशेष आमंत्रित सदस्य, परीक्षा नियंत्रक),
6. डॉ. सी. एस. ओझा, रायपुर (विशेष आमंत्रित सदस्य, सहायक परीक्षा नियंत्रक),

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम शासी निकाय के 29.01.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय को पढ़ा गया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

डॉ. स्वर्णलता सराफ　डॉ. पी० सी० अग्रवाल　डॉ. डी. के. वर्मा　(डॉ० टी० एल० वर्मा) 4.3.2017　C.S. Ojha　डॉ. अशोक पारख　Dr P. Kaushik 4.3.2017

(1)

बैठक के कार्य बिन्दु एवम् उन पर लिए गए निर्णय निम्नानुसार है :–

प्रस्ताव 1. **विद्या परिषद की बैठक दिनांक 19.09.2016 में लिए गये निर्णय पर चर्चा/अनुमोदन**

एजेण्डा क्रमांक 1.1. **स्नातक** – कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं महाविद्यालय के अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम (2016–17) का यथावत औपचारिक अनुमोदन।

निर्णय :– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए स्नातक परीक्षाओं के लिए घोषित पाठ्यक्रम जिसको महाविद्यालय की स्वशासी अध्ययन मण्डलों द्वारा स्वीकृत किया गया है, को यथावत लागू करने हेतु अनुमोदित किया गया ।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए विभागीय अध्ययन मण्डलों द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श/अनुमोदन।

निर्णय :– स्नातकोत्तर कक्षाओं के निम्न विषयों में विभागीय अध्ययन मण्डलों द्वारा आंशिक परिवर्तन किया गया है

1. अर्थशास्त्र – I सेमेस्टर एवं II सेमेस्टर में परिवर्तन
2. समाजशास्त्र – I, II, III & IV सेमेस्टर में परिवर्तन

टीप – अध्ययन मण्डलों द्वारा आंशिक परिवर्तन से संबंधित छाया प्रति संलग्न।

अध्ययन मण्डलों द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों का यथावत अनुमोदन किया जाता हैं ।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.3. विभिन्न संकायों विभागों में प्रवेश संख्या का निर्धारण एवं शासी निकाय से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित करना।

निर्णय :– सभी संकायों के विषय पर पूर्व निर्धारित प्रवेश संख्या में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं हैं। अतः समिति पूर्व निर्धारित छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार प्रवेश हेतु शासी निकाय से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करती है।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.4. छात्रों एवं शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा ।

निर्णय :– अनुमोदन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव की अनुशंसा करती है–

1. वाचनालय की सुविधा में वृद्धि
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु NET Coaching की व्यवस्था
3. Academic Calender, Result Analysis
4. Net facility in Library
5. Project को बढ़ावा
6. Seminar Conference में भाग लेने हेतु बढ़ावा
7. Reference Books & Journals की संख्या में वृद्धि
8. उद्योग आधारित शिक्षा पर जोर एवं पूर्ण एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये।
9. अध्ययन कक्षों में आधुनिक अध्यापन तकनीक का समावेश।
10. विषय विशेषज्ञों की व्याख्यान जिसमें अतिथि प्राध्यापक को रू. 1000/– और अतिथि सत्कार हेतु 500/– व्यय का प्रस्ताव अनुमोदित हेतु प्रस्तुत (प्रत्येक विषय – 2 व्याख्यान)

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.5. गैर शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन हेतु विचार विमर्श।

निर्णय :– अनुमोदन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है–

1. Career Counseling, PSC Coaching, etc की व्यवस्था।
2. NSS, NCC को प्रोत्साहन ।
3. Sports (Indoor Games) की व्यवस्था ।
4. स्वच्छता एवं जनजागरण हेतु मानव श्रृंखला का निर्माण।
5. Community Service हेतु छात्रों को विभिन्न विद्यालयों में भेजा जाना।
6. साल में कम से कम दो बार सामूहिक स्वच्छता अभियान महाविद्यालय के अंदर चलाया जाना ।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.6 छात्रों को दी जा रही उपाधियों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन पर चर्चा।

निर्णय :– यथावत अनुमोदन किया गया :

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.7 अध्ययन के नये प्रोग्राम का शासी निकाय से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।

निर्णय :– स्ववित्तीय आधार पर **B.S.W** व अन्य लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव अकादमिक परिषद के द्वारा पारित तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1. 8 अध्येतावृत्ति, पुरस्कार एवं मेडल प्रदाय करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा

निर्णय :– गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गरीब विद्यार्थी सहायता निधि बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.9 परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर चर्चा।

निर्णय :– परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन (अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय, दीर्घउत्तरीय प्रश्न) पर चर्चा के उपरांत इसके व्यवहारिक समस्याओं के साथ आर्थिक व्यय का निर्धारण कर आगामी वर्ष से लागू करने का प्रस्ताव पारित।

शासी निकाय का निर्णय : स्वशासी प्रकोष्ठ द्वारा बताया गया कि परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन के व्यय भार का निर्धारण नही हो पाया है, अतः व्यय भार निर्धारण पश्चात आगामी विद्या परिषद की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

एजेण्डा क्रमांक 1.10 अध्यापन–कक्ष के नवोचार पर चर्चा।

निर्णय :–

1. एक पूरी सुविधाओं के साथ संगोष्ठी कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव पारित।
2. अध्यापन कक्षों का आधुनिक तकनीकि के साथ नवोचार।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1.11 यू.जी.सी के निर्देशानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम को स्वशासिता के अन्तर्गत समावेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा।

निर्णय :– यू.जी.सी समिति के 4–5 जुलाई के निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय को पूर्ण स्वशासी का दर्जा प्रदान करने हेतु PGDCA, MSW, DBM & LLB पाठ्यक्रम का समावेश स्वशासी के अंतर्गत् सम्मिलित करने के लिए निर्देशित किया है। तदानुसार समिति इन पाठ्यक्रमों को स्वशासी के अंतर्गत् लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही का प्रस्ताव पारित करते हुए शासी निकाय से अनुमोदन की अनुशंसा करती है ताकि इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन सन् 2017–18 से स्वशासी प्रकोष्ठ द्वारा सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रस्ताव आयुक्त उच्चशिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर और रजिस्ट्रार पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगें।

शासी निकाय का निर्णय : अनुमोदित ।

एजेण्डा क्रमांक 1. 12 पर्यावरण अध्ययन पर वाह्य परीक्षक के माध्यम से मौखिक परीक्षा के प्रस्ताव पर चर्चा एवं बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी. भाग एक के सभी छात्र/छात्राओं के लिये पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता के प्रस्ताव पर चर्चा।

निर्णय :– प्रथम वर्ष में ही पर्यावरण की परीक्षा में विद्यार्थी के बैठन की अनिवार्यता और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मौखिक परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव पारित किया गया। अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

शासी निकाय का निर्णय : विस्तृत व्यय भार के साथ आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

नोट : अध्यक्ष की विशेष अनुमति से यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डल के लिए विषय विशेषज्ञों का मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।